FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर बापिणी

डूंगर सिंह बनाम मनोहरसिंह भाटी वगैरह

किस्म मुकदमा 188, 92A, 136 नं. 38 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/24	वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/ अपील विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण /रेस्पोडेन्ट्स के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन/नोटिस रजि.एडी. की जाकर पत्रावली दिनांक 15/1/25 को पेश हो। Avijendra सहायक कलेक्टर बापिणी	
15/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रतिवादी की ओर से श्री विक्रम सिंह भाटी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। मिसल वास्ते जवाब दावा हेतु दिनांक 5/2/25 को पेश हो। Avijendra सहायक कलेक्टर बापिणी	
05/02/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 12/02/25 को पेश हो [signature]	
02/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 20/2/25 को पेश हो [signature] रीडर	
20/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा दावा विड्रोल करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अब आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा। अतः पक्षकारों में परस्पर Avijendra सहायक कलेक्टर बापिणी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजीनामा हो जाने के कारण वाद को इसी स्तर पर जरिये विड्रोल खारिज करवाना चाहते हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी उक्त प्रार्थना पत्र का समर्थन किया व वाद को विड्रो करने के बाबत अपनी सहमति प्रदान की तथा इस बाबत् आदेशिका में हस्ताक्षर भी किये।

अतः वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के निवेदन पर गौर करते हुये प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा विड्रोल करने का स्वीकार किया जाता है तथा वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली खारिज होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rajendra

पीठासीन अधिकारी